कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:– 602 दिनांक:– 31.5.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– M/s Gail (India) लिमिटेड के जगदीशपुर–हल्दिया–बोकारो–धमरा गैस पाईप लाईन परियोजना हेतु 113.4947 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :–

1. **वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 2970 दिनांक 26.12.2018**
2. **वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह का पत्रांक 1247 दिनांक 27.12.2018**
3. **वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची का पत्रांक 309 दिनांक 12.02.2019**
4. **क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का पत्रांक 453 दिनांक 21.02.2019 एवं पत्रांक 1239 दिनांक 24.05.2019**
5. **वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर का पत्रांक 293 दिनांक 01.03.2019**
6. **वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का पत्रांक 564 दिनांक 02.03.2019 एवं पत्रांक 1293 दिनांक 29.05.2019**
7. **वन प्रमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमंडल, सिमडेगा का पत्रांक 537 दिनांक 01.03.2019 तथा पत्रांक 1247 दिनांक 27.05.2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए सूचित करना है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 113.4947 हे0 वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव संख्या FP/JH/Others/27162/2017 ऑफलाईन माध्यम द्वारा 5–5 प्रतियों में सभी 12 वन प्रमंडलों से प्राप्त हुई है।

उल्लेखनीय है कि जाँच के क्रम में हजारीबाग पूर्वी एवं सिमडेगा वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि के रकबा में सुधार हुआ, तत्संबंधी uploaded पूर्व recommendations की जगह संशोधित recommendations को upload किये जाने हेतु NIC, नई दिल्ली को इस कार्यालय के पत्रांक 592 दिनांक 29.05.2019 द्वारा अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव का online status "Proposal is pending at DFO due to EDS raised by CF" दिखाई पड़ रहा है। चूँकि यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, इस हेतु प्रस्ताव अभी offline माध्यम द्वारा अग्रसारित किया जा रहा है। सभी संबंधित वन संरक्षकों से online प्रस्ताव प्राप्त होने पर online माध्यम द्वारा तुरन्त अग्रसारित किया जाएगा।

प्रसंगाधीन पत्रों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदनानुसार अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित की जा रही है :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव विहित प्रपत्र यथा Form-A, Part-I में भरकर समर्पित किया गया है। प्रस्ताव में अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का विवरण नीचे अंकित है :–

क्र0सं0	प्रमंडल का नाम	अधिसूचित एवं सीमांकित वन भूमि (हे0 में)	गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि (हे0 में)	कुल रकबा (हे0 में)
1	बोकारो वन प्रमंडल	4.5120	18.1380	22.6500
2	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल	10.3172	2.7653	13.0825
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल	4.0393	1.2280	5.2673
4	गिरिडीह पूर्वी	0.2911	2.9433	3.2344
5	गुमला वन प्रमंडल	0.1303	0.1215	0.2518
6	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल	3.587	9.1314	12.7184
7	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल	19.4660	2.3080	21.7740
8	खूंटी वन प्रमंडल	0.3032	0.4260	0.7292
9	रामगढ़ वन प्रमंडल	0.6586	1.2203	1.8789
10	राँची वन प्रमंडल	13.2413	2.6623	15.9036
11	सरायकेला वन प्रमंडल	7.2410	0.3015	7.5425
12	सिमडेगा वन प्रमंडल	6.4959	1.9662	8.4621
	कुल :–	**70.2829**	**43.2118**	**113.4947**

2. प्रस्ताव के साथ पार्ट–II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों का मंतव्य एवं पार्ट-III में संबंधित वन संरक्षकों, प्रादेशिक अंचल का मंतव्य संलग्न है। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। (अनु - 01)

3. प्रस्ताव के पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य दर्ज कर संलग्न किया गया है। (अनु-02)

4. इस परियोजना के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र के 1:50000 स्केल वाले टोपो मानचित्र पर प्रस्तावित पाईपलाईन का आरेखन करते हुए संलग्न किया गया है। (अनु - 03)

5. प्रस्ताव के साथ ग्राम कैडेस्ट्रल मानचित्र पर लोकेशन दर्शाते हुए संलग्न किया गया है। साथ ही मौजावार/प्लॉटवार/रकबावार अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का विवरण (Land schedule) प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (अनु - 04)

6. प्रस्ताव के साथ मौजावार Geo-referenced map हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी के रूप में) संलग्न है। (अनु - 05)

7. प्रस्ताव के साथ alternative route alignment map तथा Key map संलग्न है। (अनु- 06)

8. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि / गैर वनभूमि का संबंधित अंचलाधिकारी के स्तर से सत्यापित भूमि की विवरणी संलग्न है। (अनु-07)

9. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् सभी 12 वन प्रमंडलों से प्राप्त हुए प्रमाण पत्र संलग्न है, मात्र हजारीबाग परिक्षेत्र अन्तर्गत हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल में 0.11 हे0 का वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण पत्र अप्राप्त है। (अनु-08)

10. प्रस्ताव के साथ जंगल–झाड़ी भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु उपायुक्त के स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र (NOC) संलग्न है। (अनु-09)

11. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि के उपयोग के संबंध में item-wise break-up of land की विवरणी संलग्न है। (अनु-10)

12. प्रस्ताव के साथ brief note on project संलग्न है। (अनु-11)

13. प्रस्ताव के साथ प्रमंडलवार लागत लाभ विश्लेषण प्रतिवेदन संलग्न है। (अनु-12)

14. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा ने अपने पाट–III में अंकित किया है कि चतरा जिलान्तर्गत अपयोजित होनेवाली वनभूमि, गौतम बुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी के 10 कि0मी0 के परिधि के अन्दर गुजर रहा है। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिरकण द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली (I.A Division) का पत्रांक J-11011/16/2017-IA-II(I) दिनांक 07.07.2017 की प्रति एवं उससे संबंधित Minutes of 18th Expert Appraisal Committee (Industry-2) Meeting held during 23rd to 25th January 2017 द्रष्टव्य है। प्रयोक्ता अभिकरण ने Oil & gas transportation pipeline के संबंध में EIA Notification, 2006 के Applicability संबंधी भारत सरकार के पत्र F.No. J-11011/294/2017-IA-II(I) दिनांक 06.09.2018 की प्रति संलग्न करते हुए सूचित किया है कि इस परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। (अनु-13)

15. परियोजना प्रस्ताव में वर्णित सम्पूर्ण परियोजना एवं उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या 14 पर मंतव्य की माँग मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची से की जा रही है, जिसके प्राप्त होने पर अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

16. प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है :– (अनु-14)

क. NPV एवं अतिरिक्त NPV की राशि जमा करने संबंधी।

ख. क्षतिपूरक वनरोपण तथा अतिरिक्त क्षतिपूरक वनरोपण हेतु राशि जमा करने संबंधी।

ग. Unavoidable & Minimum use of forest land.

घ. Pipeline will be laid 1.2 m (approx) below the natural ground level and land shall restored back to its normal position after laying the pipeline. We also undertake to us only 10 m of Right of Use in Forest land.

ड.. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के स्तर से लगाये जाने वाले अतिरिक्त शर्तों के अनुपालन संबंधी।

17. प्रस्ताव के साथ प्राधिकार पत्र (Authorization letter) संलग्न है।

18. प्रस्ताव के साथ प्रभावित होनेवाले वृक्षों की प्रमंडलवार सयुंक्त गणना सूची संलग्न है। (अनु॰15)

19. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 12 वन प्रमंडलान्तर्गत अपयोजित होनेवाले वनभूमि कुल 113.4947 हे0 के दुगुणे अवकृष्ट वनभूमि का चयन गिरिडीह जिला अन्तर्गत गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल में किया गया है, जिसका विवरण नीचे अंकित है :– (अनु – 16)

क्र0 सं0	प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना / थाना नं0	प्लॉट नं0	रकबा (हे0 में)
1	2	3	4	5	6
1	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल	बड़कीटांड	बेंगाबाद / 88	140, 169, 212, 237, 261	55.305
2		मेहबांक	बेंगाबाद / 132	2, 6, 418, 439	42.252
3		द्वारपहरी	गावां–70	8	30.493
4		तेतरिया	गावां–173	29	40.522
5		मलुकचल	गावां–84	9, 67, 115, 116, 123, 186 एवं 187	62.621
		कुल :–			**231.193**

20. प्रस्ताव के साथ दस वर्षीय क्षतिपूरक वनरोपण प्राक्कलन, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र, चयनित क्षतिपूरक वनरोपण स्थल का Geo-referenced map (Hard & Soft copy) तथा टोपो मानचित्र पर लोकेशन दर्शाते हुए संलग्न किया गया है। (अनु -16)

21. क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा इस परियोजना हेतु कुल 113.4947 हे0 वनभूमि अपयोजन भूमि हेतु अनुशंसा की गई है। अधोहस्ताक्षरी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के मंतव्य से सहमत है।

इस परियोजना हेतु समेकित कुल 113.4947 हे0 प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन प्रस्ताव को भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में Website पर अपलोड करने की कार्रवाई की जा रही है। उपरोक्त वर्णित के अनुसार संबंधित वन संरक्षकों से ऑनलाईन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अग्रसारित कर Time line अलग से भेजा जाएगा। संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का

अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अतएव, प्राप्त प्रस्ताव की हार्ड कॉपी सभी अनुलग्नकों सहित तीन–तीन प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। विषयगत प्रस्ताव की एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि वे इस पत्र के बिन्दु संख्या 14 एवं 15 के क्रम में अपने मंतव्य से शीघ्र अवगत कराने की कृपा करेंगे।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/बोकारो/जमशेदपुर/राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/हजारीबाग/गिरीडीह/बोकारो/जमशेदपुर/राँची/गुमला/वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी/चतरा दक्षिणी/हजारीबाग पूर्वी/हजारीबाग पश्चिमी/गिरीडीह पूर्वी/ बोकारो/ रामगढ़/राँची/सरायकेला/सिमडेगा/खूँटी/गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 602 दिनांक 31.5.19

प्रतिलिपि :– प्रबंधक (निर्माण), गेल (इंडिया) लिमिटेड, 5वीं0 मंजिला, पूर्वी ब्लॉक, मेकॉन कॉम्पलेक्स, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.5.19
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) Project of GAIL 113.4947_ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 113.4947 ha. Forest land.

Date :- 31.05.2019

Place :- Ranchi.

Signature

31.5.2019

(SHASHI NANDKEOLYAR)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)